भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3294

गुरूवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (शक)

सभी उद्योगों में नौकरियों का सृजन

3294. श्री कुमार केतकर:
श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री राजमणि पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी उद्योगों में सूचित की गई नौकरियों के संबंध में वार्षिक आंकड़े रखती है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2017 से अब तक वार्षिक तौर पर सृजित की गई सभी नौकरियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या 60 लाख नौकरियों का सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध 'मेक इन इंडिया' के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थ व्यवस्था में दर्ज की गई कुल 20 करोड़ नौकरियों की कमी की पूर्ति करने हेतु कोई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2017-18 , 2018-19 और 2019-20 के दौरान सामान्य प्रस्थिति पर उद्योग-वार रोजगार का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अंतर्गत सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को 1 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के भाग के रूप में शुरू किया गया था, ताकि नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और कोविड -19 महामारी के दौरान रोजगार

की हानि की भरपाई की जा सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लागू की जा रही यह योजना नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने और उन्हें अधिक कामगारों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दी गई है। दिनांक 21.03.2022 तक 1.38 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 54.52 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना साथ स्वरोजगार को -सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ (पीएमएमवाई) बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्मलघु व्यवसाय उद्यमों और / करने व्यक्तियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित या उनका विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 11.03.2022 तक 34.08 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए थे।

'पीएम गतिशक्ति' आर्थिक प्रगति और सतत विकास के लिए एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को सात इंजनों नामत: सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, पत्तन, सार्वजनिक यातायात, जल मार्ग तथा संभार अवसंरचना द्वारा गति प्रदान किया जाता है। इस दृष्टिकोण को स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास के माध्यम से शक्ति प्रदान की जाती है जिसके फलस्वरूप व्यापक रोजगार और सबके लिए उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन पर सतत ध्यान रखते हुए रेलवे, सड़क, शहरी यातायात, विद्युत , दूर संचार, कपड़ा और सस्ते घरों पर बल दिया है। बजट 2021-22 में वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्षों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं । इन सभी प्रयासों से समग्र रोजगार सृजन और बहुआयामी प्रभावों के माध्यम से मध्यम तथा दीर्घावधि निष्पादन को गति मिलने की संभावना है।

भारत सरकार रोजगार सृजन के लिए सूक्,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय के पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है।

इन पहलों के अतिरिक्त, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पुनरुद्धार और शहरी परिवर्तन मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास और औद्योगिक गलियारे योजना भी उत्पादक रोजगारोन्मुख अवसर पैदा (कोरिडोर्स) करने के लिए हैं।

*

******

अनुबंध

'सभी उद्योगों में नौकरियों का सृजन' के संबंध में श्री कुमार केतकर एवं अन्य माननीय सांसदों द्वारा दिनांक 31.03.2022 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3294 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

व्यापक औद्योगिक प्रभाग द्वारा सामान्य प्रस्थिति में कामगारों की अनुमानित संख्या (सभी आयु वर्ग के)

(करोड़ में)

एनआईसी2008 के अनुसार व्यापक औद्योगिक प्रभाग	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
कृषि	20.03	19.86	23.27
खनन एवं उत्खनन	0.19	0.20	0.15
विनिर्माण	5.70	6.12	6.24
विद्युत, जल आदि	0.28	0.28	0.35
सन्निर्माण	5.70	5.86	6.22
व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	5.94	.6.39	7.47
यातायात संभरण एवं संचार	2.78	2.99	3.15
अन्य सेवाएं	6.51	7.05	6.71
कुल	47.14	48.76	53.55

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण

****